[2020] 7 एस.सी.आर. 1148

श्री वी.एन. कृष्णा मूर्ति व अन्य इत्यादि, इत्यादि

बनाम

श्री रविकुमार एवं अन्य इत्यादि, इत्यादि

(सिविल अपील सं0 2701–2704/2020)

अगस्त 21, 2020

**[न्यायमूर्तिगण, एल नागेश्वरा राव, कृष्ण मुरारी और एस. रवीन्द्र भट्ट]**

*सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–'लोकलक्षी निर्णय'; 'पीड़ित पक्षकार' – कब नहीं– विवादित भूमि के स्वामियों ने एक सोसायटी के पक्ष में विक्रय का करार निष्पादित किया – सोसायटी के पदाधिकारियों को सम्पत्ति के विक्रय की कार्यवाहियों में शामिल होने हेतु अधिकृत करते हुए उनके पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) भी निष्पादित किया गया – अपीलकर्ताओं के पक्ष में सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विक्रय विलेख–उत्तरदाताओं–वादीगण द्वारा दाखिल वाद में सम्पत्ति के सह–स्वामी होने के दावे के साथ–साथ विक्रय के करार को रद्द करने की मॉग की – डिक्रीड – अपीलकर्ताओं ने डिक्री के विरूद्ध अपील करने की अनुमति मॉगी – उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया – अवधारितः वाद में विक्रय के करार को रद्द करने का उपचार मॉगा गया जबकि, विक्रय विलेख जो अपीलकर्ताओं के दावे का आधार थे, जीपीए के आधार पर निष्पादित किए गए थे और विक्रय के करार से कोई लेना–देना नहीं था जो वाद की विषयवस्तु थी – विचारण न्यायालय का निर्णय तथा डिक्री लोकलक्षी निर्णय नहीं थी तथा केवल वाद के वादीगण और प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी थी, अपीलकर्ताओं पर नहीं – अपीलकर्ताओं पर प्रश्नागत डिक्री से न तो पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और न ही उनके किसी भी कानूनी अधिकार को खतरे में डाला गया जिससे उन्हें 'पीड़ित व्यक्ति' के दायरे में आकर डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त होता– उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं है।*

*शब्द और अभिव्यक्तियॉ – 'पीड़ित व्यक्ति', निर्णय/डिक्री के संदर्भ में – का अर्थ – वर्णित – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।*

*सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धाराएँ 96 और 100 – का दायरा – वर्णित।*

**न्यायालय, अपीलें निरस्त करते हुए**

**अवधारितः 1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 और 100 क्रमशः मूल डिक्री या अपीलीय डिक्री से अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है परन्तु उन व्यक्तियों की श्रेणियों**

**का उल्लेख नहीं करती है जो अपील दाखिल कर सकते है। हालाँकि, किसी अजनबी को किसी भी कार्यवाही में अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वह अदालत को संतुष्ट नहीं कर देता कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। ऐसा केवल तभी होता है जब कोई निर्णय और डिक्री किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, वह अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अपील कर सकता है। [पैरा 15] [1154–ई–एफ]**

**1.2 अपीलकर्ताओं को न तो पीड़ित व्यक्ति कहा जा सकता है और न ही वे विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री से किसी भी तरह से बाध्य हैं। वाद में विक्रय के करार को रद्द करने के अनुतोष का दावा किया गया था। विक्रय विलेख जो अपीलकर्ताओं के दावे का आधार थे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निष्पादित किए गए थे, और विक्रय के करार से कोई लेना–देना नहीं था जो वाद की विषयवस्तु थी। विचारण न्यायालय का निर्णय और डिक्री किसी भी तरह से लोकलक्षी निर्णय नहीं है और यह केवल वाद के वादीगण और प्रतिवादीगण के बीच बाध्यकारी है, तथा अपीलकर्ताओं पर नहीं। वाद केवल विक्रय के करार के संबंध में मांगी गई घोषणा तक ही सीमित है। निषेधाज्ञा भी केवल प्रतिवादी – सोसायटी या उसके अधिकारियों या समनुदेषितों के विरुद्ध मांगी गई थी। अपीलकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि वे विचाराधीन डिक्री से पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए और न ही उनके किसी भी विधिक अधिकार को खतरे में डाला गया जिससे उन्हें 'पीड़ित व्यक्ति' के दायरे में आकर डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त होता। (पैरा 21–23 )(1156–डी–जी; 1157–ए–सी)**

*श्रीमती जतन कुमार गोलचा बनाम गोलचा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड* **(1970) 3 एससीसी 573: (1971) 3 एससीआर 247;** *पंजाब राज्य व अन्य बनाम अमर सिंह और अन्य* **(1974) 2 एससीसी 70 : (1974) 3 एससीआर 152;** *बलदेव सिंह बनाम सुरिंदर मोहन शर्मा व अन्य* **(2003) 1 एससीसी 34 : (2002) 4 सप्पली. एससीआर 43;** *ए. सुभाष बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य* **(2011) 7 एससीसी 616: (2011) 9 एससीआर 453;** *शांति कुमार आर कैनजी बनाम न्यूयॉर्क की होम इंश्योरेंस कंपनी* **(1974) 2 एससीसी 387 : (1975) 1 एससीआर 550;** *राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(1977) 3 एससीसी 592 : (1978) 1 एससीआर 1;** *श्रीमती के. पोन्नलागु अम्मानि बनाम मद्रास राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा सचिव राजस्व विभाग,* **मद्रास और अन्य. 66 लॉ वीकली 136 – पर भरोसा किया।**

**संदर्भित निर्णय विधि**

| | | |
|---|---|---|
| **[1971] 3 एससीआर 247** | **निर्भर** | **पैरा 15** |
| **[1974] 3 एससीआर 152** | **निर्भर** | **पैरा 16** |
| **[2002] 4 सप्पली. एससीआर 43** | **निर्भर** | **पैरा 17** |
| **[2011] 9 एससीआर 453** | **निर्भर** | **पैरा 18** |
| **[1975] 1 एससीआर 550** | **निर्भर** | **पैरा 19** |
| **[1978] 1 एससीआर 1** | **निर्भर** | **पैरा 19** |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं0 2701–2704/2020

उच्च न्यायालय कर्नाटक, प्रधान पीठ बेंगलुरू आर.एफ.ए. सं0 1434, 1435, 1436 और 1775/2017 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.02.2019 से

अपलीकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण सिद्धार्थ भटनागर, शरणागौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रीता शरणागौड़ा, मैसर्स एस–लीगल एसोसिएट्स।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण गुरूकृष्ण कुमार निखिल नैय्यार, वरिष्ठ अधिवक्तागण, अक्षय अमृतांषु शंकर दिवाते, दिव्यांषु राय, टीवीएस राघवेन्द्र श्रेयस, अंकित कुमार लाल, सुश्री प्रियंका दास, सुमित उपाध्याय, सुश्री मेघा करनवाल।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

**न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी,**

1. प्रस्तुत अपील आर.एफ.ए. सं0 1434, 1435, 1436 और 1775/2017 में सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.02.2019 के अपील दाखिल करने की अनुमति से प्रदान न करने के विरूद्ध उच्च न्यायालय कर्नाटक, प्रधान पीठ बेंगलुरू द्वारा पारित दाखिल की गयी है।

2. विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

विवाद सर्वेक्षण संख्या 105/3 में 37 गुंटा, सर्वेक्षण संख्या 105/9 में 34 गुंटा और सर्वेक्षण संख्या 105/4 बी में 20 गुंटा स्थित ग्राम जक्कुर, बेंगलुरु, उत्तरी तालुका में शामिल भूमि से संबंधित है। यहां उत्तरदाता संख्या 5 और 6, जो विवादित भूमि के दर्ज मालिक थे ने उत्तरदाता, कर्नाटक राज्य खादी तथा ग्राम के पक्ष में विवाद में भूमि की बिक्री का एक पंजीकृत विक्रय का करार निष्पादित किया।

श्री वी.एन. कृष्ण मूर्ति और ए.एन.आर. वी. श्री रविकुमार और अन्य

[न्यायमूर्ति, कृष्ण मुरारी]

इंडस्ट्रीज वर्करस हाउस बिल्डिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड दिनांक 31.10.1989 और 05.08.1992 को पंजीकृत विक्रय के करार को निष्पादित करने के अलावा, उनके द्वारा साथ ही साथ प्रतिवादी सोसायटी के पदाधिकारियों के पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी निष्पादित की, जिससे उन्हें विक्रय की कार्यवाहियों में शामिल होने हेतु अधिकृत किया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए जो संपत्ति के विक्रय के लिए आवश्यक हैं अटॉर्नी को पूर्ण अधिकार देते हुए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया गया था।

3. जनरल पावर ऑफ अटार्नी के बल पर, वादग्रस्त भूमि के संबंध में विक्रय विलेख विभिन्न तिथियों पर अपीलकर्ताओं के पक्ष में अटार्नी द्वारा निष्पादित किया गया था।

4. उत्तरदाता–वादीगण ने चार मूल वाद ओ.एस. सं0 1529/2014, 1532/2014, 1534/2014 और 7758/2016 निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दाखिल कियेः–

*ए) यह घोषित करने के लिए कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05.08.1992 समय के संविदा का सार होने के दृष्टिगत कारण समय सीमा से वर्जित है, और सीमा की अवधि से परे, अकृत और शून्य, अवैध अप्रवर्तनीय और निष्क्रिय और वादीगण पर अबाध्यकारी घोषित किया जाए।*

*बी) प्रतिवादी सोसायटी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा निष्पादित पंजीकृत अतिरिक्त विक्रय का करार दिनांकित 31.10.1989 को जो दस्तावेज़ सं0 1194/92–93, पुस्तक सं0 I में, खंड सं0 27 पेज 86–88 के रूप में सब रजिस्ट्रार येलहंका बैंगलोर के कार्यालय में संग्रहीत है को और घोषित व रद्द करे, साथ ही अपंजीकृत विक्रय के करार दिनांकित 23.05.1988 को समय से बाधित, वैकल्पिक रूप से तीसरे प्रतिवादी द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में, यह माननीय न्यायालय विक्रय के करार का न्यायालय कमिश्नर के माध्यम से रद्दीकरण निष्पादित करने की कृपा करें।*

*सी) तीसरे प्रतिवादी को क्षेत्रीय उप रजिस्ट्रार के समक्ष एक पंजीकृत रद्दीकरण विलेख निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाए।*

*डी) प्रतिवादियों, उनके एजेंटों व उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को वाद की अनुसूची संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोके जाने*

*हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का निर्णय व डिक्री जारी करे।*

*ई) प्रतिवादिगण उनके एजेंटों, नौकरों, अधिकारियों, समनुदेषितों या उनकी ओर से कार्य करने या दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को ध्वस्त करने या किसी भी तरह से प्रवेश करने या किसी भी तरह से संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए निषेधित किया जाए।*

*एफ) प्रतिवादियों को कार्यवाहियों की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।*

*जी) और इसके अतिरिक्त, माननीय न्यायालय न्याय और समानता के हित में लागते तथा ऐसी अन्य न्यायसंगत और न्यायसंगत राहत/राहतें जो माननीय न्यायालय मुकदमें की परिस्थितियों में जैसा उचित समझे प्रदान करें।*

5. वाद इस आरोप पर दाखिल किये गये थे कि वाद संपत्ति पैतृक संपत्ति है और वादीगण सह–स्वामी थे और इस प्रकार प्रतिवादी को वादी के हित की अनदेखी करते हुए विक्रय के करार को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह भी दलील दी गई कि चूंकि विक्रय का करार विक्रय की कार्यवाही में परिणत नहीं हुआ, परिसीमा विधि से बाधित है और इस प्रकार अप्रवर्तनीय है। इस स्तर पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि दर्ज भूमि धारक के एटर्नी द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख मुकदमें में विवादित नहीं थे और न ही उसमें विवाद की विषयवस्तु थी और न ही उसके संबंध कोई अनुतोष याचित किया था।

6. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 27.07.2016 के द्वारा, वाद को डिक्री कर निम्नलिखित डिक्री पारित कीः–

*"यह आदेश और डिक्री किया गया है कि वादी का मुकदमा डिक्री किया जाता है।*

*यह आगे आदेश और डिक्री किया कि पंजीकृत विक्रय का करार दिनांकित 30.10.1989 और 05.08.1992 परिसीमा से बाधित है और वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है।*

*आगे यह आदेश तथा डिक्री किया कि प्रतिवादी–सोसायटी या उनकी ओर से कोई भी वादी के शांतिपूर्ण कब्जे और वाद की अनुसूची संपत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।*

*आगे यह आदेश और डिक्री किया कि पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करें।"*

7. वाद की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ताओं ने आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी के तहत पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन किया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे फलहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया क्योंकि इस बीच वाद निर्णीत हो गया था।

8. विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने आर.एफ.ए. सं0 1434/2017, 1435/2017, 1436/2017 और 1775/2017 दाखिल की। अपीलों के साथ उचित आवेदन जिसमें निर्णय और डिक्री के विरूद्ध अपील करने की अनुमति मांगी गई संलग्न था।

9. उच्च न्यायालय ने इन अपीलों में एक सामान्य निर्णय और आदेश के द्वारा अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।

10. उच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए आवेदन को खारिज करते हुए कहा किः–

> *"यह सच है कि विचारण न्यायालय ने एक बहुत ही विशेष घोषणात्मक अनुतोष प्रदान किया है, जो मेरी राय में वाद में वादीगण बचाव के माध्यम से रख सकते थे, अगर उन पर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा विशिष्ट अनुपालन के लिए मुकदमा दायर किया गया होता। यह भी हो सकता है,सभी आवेदकगण/ अपीलकर्तागण भूमि के स्वामियों के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के बल पर अपनी संबंधित साइटों पर कब्जा करने का दावा करते हों जैसा कहा गया है कि विक्रय के करार हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में निष्पादित किए गए थे और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कुछ व्यक्तियों जो हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी हैं के पक्ष में निष्पादित किया गया था। यदि यह स्थिति है तो मुझे लगता है कि आवेदकों/अपीलकर्ताओं के पास एक स्वतंत्र अधिकार है जो उन्हें भूमि के स्वामियों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर व्युत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। यह एक तथ्य हो सकता है कि विक्रय विलेख को स्वामी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों द्वारा निष्पादित किया गया था, लेकिन वास्तव में वो विक्रय विलेख भूमि के स्वामियों द्वारा निष्पादित किये गये थे और, इसलिए, यह कहा जा सकता है कि वाद में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये घोषणात्मक अनुतोष की प्रकृति आवेदकों/अपीलकर्ताओं के हित को प्रभावित नहीं करती है।"*

विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि; *"यदि उनके द्वारा खरीदी गई साइटों पर उनका कब्जा है, तो उन्हें स्वतंत्र मुकदमे दायर करके अपने कब्जे की रक्षा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनको अपील दाखिल कर वाद के निर्णय को चुनौती देने का कोई उपचार प्राप्त है।''*

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं का हित सीधे तौर पर मुकदमे की विषय वस्तु में शामिल है। वे प्रश्नगत विक्रय विलेख के आधार पर संबंधित साइटों के पूर्ण स्वामी बन गए है। विचारण न्यायालय के निर्णय से विक्रय करारों को समय बाधित बताना और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री देना वास्तव में उनके हितो को प्रभावित करता है क्योंकि वे वाद की संपत्ति के कब्जे में हैं।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि यहां अपीलकर्ताओं का दावा विक्रय विलेख जो वाद की संपत्ति के दर्ज मालिकों द्वारा निष्पादित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बल पर निष्पादित की गयी पर आधारित है। वाद में न तो विक्रय विलेख का कोई संदर्भ है और न ही विक्रय विलेख विक्रय के किसी करार को संदर्भित करता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उनके पक्ष में विक्रय विलेख के आधार पर अनुतोष का दावा, यदि कोई हो, पूरी तरह से अलग है, और विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और अपील हेतु अनुमति के लिए उनके आवेदन को सही खारिज किया गया है।

13. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।

14. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमारे विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या अपीलकर्ताओं के पास विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पर सवाल उठाने का अधिकार है और क्या उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपील हेतु अनुमति को अस्वीकार करना उचित था।

15. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 और 100 क्रमशः किसी मूल डिक्री से या अपीलीय डिक्री से अपील करने का प्रावधान करती है। उपरोक्त प्रावधानों में उन व्यक्तियों की श्रेणियॉ अंकित नहीं करते हैं जो अपील दायर कर सकते हैं। हालाँकि, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि एक अजनबी को किसी भी कार्यवाही में अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वह न्यायालय को संतुष्ट न कर दे कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। यह केवल जहां कोई निर्णय और डिक्री किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो पक्षकार नहीं है कार्यवाही के लिए, वह अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अपील कर सकता है। इस न्यायालय की ***श्रीमती जतन कुमार गोलचा बनाम गोलचा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड***[1] में की गयी टिप्पणी का संदर्भ दिया जाना चाहिए:–

> *"यह सुस्थापित है कि एक व्यक्ति जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अपील प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह निर्णय से प्रतिकूल रूप से*

[1](1970) 3 एससीसी 573

*प्रभावित होता है तो ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए।"*

16. इस न्यायालय ने ***पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अमर सिंह और अन्य***[2] **,** में किसी एक व्यक्ति द्वारा जो वाद का पक्षकार नहीं है उसके द्वारा अपील की पोषणीयता के संबंध में इस प्रकार कहा है किः–

> *"प्रथम, ऐसी कई विधि व्यवस्थाएँ हैं जिनमें इन रे सिक्योरिटीज इंश्योरेंस कंपनी [(1894) 2 अध्याय 410] के लिंडले, एल. जे. के आदेश का पालन करते हुए नियम निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति जो डिक्री या आदेश का पक्षकार नहीं है न्यायालय की अनुमति से ऐसी डिक्री याआदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है यदि वह या तो आदेश से बाध्य है या इससे व्यथित है या इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।"*

17. ***बलदेव सिंह बनाम सुरिंदर मोहन शर्मा और अन्य***[3]**,** के मामले में, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि की धारा 96 (सिविल प्रक्रिया संहिता) के तहत अपील केवल निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट व्यक्ति के आग्रह पर ही पोषणीय होगी। व्यथित व्यक्ति की अवधारणा के संबंध में पैराग्राफ 15 में निम्नानुसार देखा गया थाः–

> *"अपील दाखिल करने के लिए एक व्यथित व्यक्ति वही होना चाहिए जिसका अधिकार आक्षेपित निर्णय और डिक्री के कारण प्रभावित हुआ है।''*

18. ***ए. सुबाष बाबू बनाम ए.पी. राज्य व अन्य***[4]**,** में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित कियाः–

> *"अभिव्यक्ति 'पीड़ित व्यक्ति' एक लोचदार और एक मायावी अवधारणा को दर्शाता है। इसे एक कठोर, सटीक और व्यापक परिभाषा की सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका दायरा और अर्थ विविध, परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि क़ानून की विषयवस्तु और आशय जिसके उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ, शिकायतकर्ता के हित की प्रकृति और सीमा और उसके द्वारा सहे गये पूर्वाग्रह या क्षतियों की प्रकृति और सीमा।"*

*19. अभिव्यक्ति 'पीड़ित व्यक्ति' में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है; इसलिए, व्यथित व्यक्ति आवश्यक रूप से वही होना चाहिए, जिसके*

---

[2](1974) 2 एससीसी 70

[3](2003) 1 एससीसी 34

[4](2011) 7 एससीसी 616

*अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या खतरे में पड़ गया है (द्वारा* ***शांति कुमार आर. कैनजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क[5] और राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[6])***

20. ***श्रीमथी के. पोन्नलागु अम्मानि बनाम मद्रास राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा सचिव राजस्व विभाग[7],*** *में इस न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपील करने की अनुमति देना कब उचित होगा जो उन कार्यवाहियों में पारित डिक्री या निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही में पक्षकार नहीं है हेतु परीक्षण निम्न शब्दों में निर्धारित किया गया:–*

> *"अब, किसी ऐसे व्यक्ति को अपील करने की अनुमति देना कब उचित होगा जो ऐसी कार्यवाही में डिक्री या निर्णय के विरूद्ध कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं है पता लगाने के लिए परीक्षण क्या है? हमें लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष तरीके से किसी डिक्री या निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है को अपील करने की अनुमति देना अनुचित होगा हमारा मानना है कि सामान्यतः अपील करने की अनुमति उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जो, यद्यपि कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं, फिर भी उस डिक्री या निर्णय से बाध्य हों तथा जो अन्य कार्यवाहियों में इसकी सत्यता को आक्षेपित करने से रोके गये हो।"*

21. उपरोक्त परीक्षणों को लागू करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं को न तो पीड़ित व्यक्ति और न ही विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री से किसी भी तरह से बाध्य कहा जा सकता है वाद में जिस अनुतोष का दावा किया गया वह विक्रय के करार को रद्द करना था। दूसरी ओर, विक्रय विलेख जो अपीलकर्ताओं के दावे का आधार था, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निष्पादित किया गया था, और विक्रय का करार जो वाद की विषयवस्तु थी से कोई लेना–देना नहीं था। विचारण न्यायालय का निर्णय और डिक्री किसी भी तरह से लोकलक्षी निर्णय नहीं है और यह केवल वाद के वादीगण और प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी है, अपीलकर्ताओं पर नहीं।

22. यद्यपि हमारे समक्ष इसका अत्यधिक विरोध किया गया है और उच्च न्यायालय के समक्ष भी दलील दी गई है कि विचारण न्यायालय का निर्णय और डिक्री अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अपीलकर्ता कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने व प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री कैसे उन पर पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालती है। मात्र यह कहना कि अपीलकर्ता डिक्री से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है पर्याप्त नहीं है। यह

---

[5](1974) 2 एससीसी 387

[6](1977) 3 एससीसी 592 7

[7]66 लॉ वीकली 136

प्रदर्शित करना होगा कि डिक्री अपीलकर्ताओं के विधिक अधिकारों को प्रभावित करती है और लागू होने पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि जिस मुकदमे का फैसला सुनाया गया है वह केवल विक्रय के करार के संबंध में मांगी गई घोषणा तक ही सीमित है। निषेधाज्ञा भी केवल प्रतिवादी–सोसायटी या उसके अधिकारियों या समनुदेषितों के खिलाफ मांगी गई थी। पूरे वादपत्र में या मुकदमे की कार्यवाही में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के बारे में या यहां तक कि विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री में उस मामले के बारे में कोई फुसफुसाहट भी नहीं है।

23. अपीलकर्तागण इस प्रकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि वे प्रश्नगत डिक्री से पूर्वाग्रहपूर्ण या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं या उनके किसी भी विधिक अधिकार को खतरे में डाला गया है जिससे उन्हें 'पीड़ित व्यक्ति' अभिव्यक्ति के दायरे में आकर डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त होता।

24. तथ्यों और वर्णन के आलोक में, हमें उच्च न्यायालय के डिक्री के विरूद्ध अपील करने की अनुमति मांगने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने के निर्णय में कोई कमी नजर नहीं आती। तदनुसार, अपीलें निरस्त की जाती हैं। हालाँकि, हम पक्षकारों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

अपील खारिज।

(योगेश कुमार यादव)